न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण, जिला–पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वादपत्र संख्या : (34/2014) 273/19

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भेराराम पुत्र तेजाराम जाति–गुर्जर, निवासी–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 2. पटवारी, पटवार हल्का टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.20/02/2014

उपस्थितः– 1. श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 13/01/2020

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा–टूंकड़ा, पटवार हल्का टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 453/206 रकबा 10 बीघा अवस्थित है। उक्त कृषि आराजी मेरी पुश्तैनी है, तथा वर्तमान समय में मेरा मौके पर कब्जा काश्त है। रबी की फसल जीरा, रायड़ा व तारामीरा की फसल है। कृषि प्रयोजनार्थ भू–आबंटन सिवाय चक राजकीय भूमि नियम 101 राजस्थान भू–राजस्व नियम 1956 के अंतर्गत मेरे पिताजी का नाम वर्णित है। जिसमें म्यूटेशन संख्या 139 दिनांक 7/5/1976 का इन्द्राज है। तथा मेरे पिताजी का नाम का इन्द्राज जमाबंदी में है। एवं मेरे पिताजी की पास बुक भी जारी की गई थी। वर्तमान समय में खसरा नम्बर 453/206 पर मेरे स्वयं का कब्जा काश्त है। में बिना किसी व्यवधान के बिना किसी रोक टोक के चिरकाल से पुश्तैनी कब्जे के आधार पर उपयोग व उपभोग करते है। मुझ कृषक परिवार की आजीविका का मुख्य आधार उक्त मुतदाविया आराजी है। मेरे पिताजी तेजाराम पुत्र भरता जो निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति है। उनके बाये हाथ के अंगुठा का निशान एप्लीकेशन फार्म पर एलोट्मेंट लैण्ड पर है। मेरे पिताजी अपनी खेती कार्य में व्यस्त रहते थे। खसरा नम्बर 453/206 में उसका पजेशन कई वर्षो से चला आ रहा था। तत्कालीन राजस्व कारकुनान एवं गुमास्ता की डिक्लेरेशन फार्म ड्यूटी एवं गौर लापरवाही के नतीजे के कन्सेक्यूयेंश के आधार पर खसरा नम्बर अंकन में सहवन से मानवीय त्रुटि हुई जिसके कारण वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम अमल दरामद नहीं है। मेरे को कृषि खास ऋण एवं कृषक सहायता मुआवजा राशि से महरूम रहना पड़ता है। एवं सरकारी आर्थिक इमदाद एवं सहायता से वंचित रहना पड़ता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित करने की गरज

Scanned by CamScanner

से अर्जी दाखिल पेश है। एवं मुतदाविया आराजी का राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु एवं खातेदार काश्तकार की घोषणा हेतु अर्जी दावा पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार ने अपना जबाबदावा पेश किया। जवाबदावे में जाहिर किया कि पद संख्या 01 से 03 सही होने से स्वीकार है। तथा पटवारी हल्का टूकड़ा की रिपोर्ट के आधार पर वादी के पिता तेजा पुत्र भरता के नाम दिनांक 06.05.1976 को मोजा टूकड़ा के खसरा नंबर 453/206 रकबा 10 बीघा आंवटित की गई है। जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 139 भरा गया। जिसे भी तेजा पुत्र भरता के नाम खसरा नंबर 453/206 रकबा 10 बीघा दर्ज किया जाकर स्वीकृत हुआ एवं जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में अमल दरामद किया गया इसके बाद संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी में इन्द्राज सही था मगर जमाबंदी संवत 2036-39 में खसरा नंबर 453/206 के बजाय खसरा नंबर 453/216 गलत दर्ज हो गया एवं नामान्तकरण संख्या 207 में तेजा वल्द भरता गुर्जर के नाम खसरा नंबर 453/412 दर्ज कर स्वीकार किया गया। उक्त अनुसर जमाबंदी में भी खसरा नंबर 453/412 दर्ज हो गया जो आज दिनांक रिकॉर्ड में है। जबकि लिपिकीय भूल से 453/206 के स्थान पर 453/216 व 453/412 गलत इन्द्राज हुआ है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित होगा। वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नंबर 453/412 के स्थान पर सही इन्द्राज खसरा नंबर 453/206 किया जाकर इन्द्राज शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है। वाद के पद संख्या 04 से 08 के तथ्य सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 09 कानूनी है। पद संख्या 10 में वादी की इस्तदुआ है जो नियमानुसार स्वीकार कर ली जावें तो हम प्रतिवादीगण को आपत्ति ऐतराज नहीं है। वादी भेराराम व गवाह सायर पुत्र अणदा की ओर से साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया बाद प्रदर्श व जिरह करवाये गये, जो शामिल मिसल है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति, जैतारण द्वारा बैठक दिनांक 06.05.1976 को ग्राम-टूकंड़ा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली के खसरा संख्या 453/206, बा.अ. की रकबा 10-00 बीघा कृषि भूमि वादी के पिता तेजा पुत्र भरता कौम- गुर्जर को आवंटित की गई, जिसकी अनुपालना में नामांतरण संख्या 139(प्रदर्श-5) स्वीकृत किया जाकर आवंटी के नाम आंवटित भूमि अमल-दरामद की गई। ग्राम-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण की जमाबंदी सवंत 2028-2031(प्रदर्श-1) के अनुसार तेजा पुत्र भरता, कौम-गुर्जर खसरा संख्या 453/206 का बतौर खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत 2032-2035(प्रदर्श-2) में भी तेजा पुत्र भरता वादग्रस्त आराजी का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत 2036-2039(प्रदर्श-3) के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार के रूप में अंकित तेजा पुत्र भरता कौम-गुर्जर सा.देह के सामनें खसरा संख्या 453/216 रकबा 10-00 बीघा अंकित करते हुए अंकित किया गया है कि ना.क. 206 के जरिये स्तीफा मंजूर होनें से सरकारी पड़त दर्ज किया गया। नामांतकरण संख्या 206(प्रदर्श-4) के अनुसार खसरा संख्या 453/412 तेजा पुत्र भरता की खातेदारी

Scanned by CamScanner

समाप्त करते हुए प्रविष्टि अंकित की गई है कि श्रीमान टी.एस. साहब के आदेश से स्तीफा मंजूर किया गया। जमाबंदी संवत 2069-2072 ग्राम-टूंकड़ा के अनुसार खसरा संख्या 453/412 रकबा 10-00 बीघा, बा.अ. सरकारी खाते दर्ज है जबकि खसरा संख्या 453/216 रकबा 10-00 बीघा एवं खसरा संख्या 453/206 को सम्पूर्ण जमाबंदी से विलोपित कर दिया गया है। जवाबदावा प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए प्रकट किया है कि वादी के पिता तेजा पुत्र भरता के नाम दिनांक 06.05.1976 को मौजा टुंकड़ा के खसरा नंबर 453/206 रकबा 10-00 बीघा भूमि आवंटित की गई, जिसकी पालना में नामांतरण संख्या 139 भरा गया, जिसे भी तेजा पुत्र भरता के नाम खसरा संख्या 453/206 रकबा 10-00 दर्ज किया गया एवं जमाबंदी संवत 2028-2031 में अमल दरामद किया गया, इसके बाद संवत 2032-2035 की जमाबंदी में इन्द्राज सही था मगर जमाबंदी संवत 2036-2039 में खसरा संख्या 453/206 के बजाय खसरा संख्या 453/216 गलत दर्ज हो गया एवं नामांतरण संख्या 207 में तेजा वल्द भरता गुर्जर के नाम खसरा संख्या 453/412 दर्ज कर स्वीकार कर लिया गया और उक्त अनुसार जमाबंदी में भी खसरा संख्या 453/412 दर्ज हो गया जो आज दिनांक तक दर्ज है, जबकि लिपिकीय भूल से 453/206 के स्थान पर 453/216 व 453/412 गलत इन्द्राज हुआ है, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित होगा, वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा संख्या 453/412 के स्थान पर सही इंद्राज 453/206 किया जाना उचित है।

तहसीलदार, जैतारण द्वारा पत्रांक 6244 दिनांक 23.12.2019 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 206 जिसका कुल रकबा 26.19 बीघा था, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मूल खसरा संख्या 206 एवं उसके बट्टा नम्बरान तथा उनका रकबा क्रमशः 206 रकबा 0-10 बीघा, 454/206 रकबा 6-19 बीघा, 453/412 रकबा 10-00, 451/206 रकबा 4-00 बीघा एवं 452/206 रकबा 5-10 बीघा जिनका कुल रकबा 26-19 बीघा बनता है, जो कि मूल खसरा संख्या 206 के कुल रकबे के बराबर है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत निम्नलिखित न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन कियाः-

1- R.L.W. REVENUE DIGEST V0L- 2 PAGE 502, PARTHA V/S PRITHVIRAJ,1986, RRD 137
2- RAMSWAROOP V/S SHIVNARYAN AND OTHERS, R.L.W 2007 (2) RJ 1246 =2007 (2) RRT 1183 =2008 R.R.D 46
3- RAMKARAN AND OTHERS V/S NAINALAL AND OTHERS,R.L.W 2008 (2) RJ 1126=2008 (2) RRT 1110 = 2008 R.R.D 672 = 2008 RBJ 712
4- RLW 2018 (1) REV. 552 (H.C), STATE OF RAJASTHAN V/S SHANKARLAL AND OTHERS.

उपर्युक्त न्यायिक नजीरें हस्तगत प्रकरण में हुबहू चस्पा होती है। नजीर संख्या 04 में STATE OF RAJASTHAN V/S SHAKARLAL AND OTHERS के प्रकरण के निर्णयन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

Scanned by CamScanner

"राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन)नियम, 1970, नियम 14(3) व 14(4)- आठ व्यक्तियों को शिविर में 05 बीघा भूमि आवंटित की एवं उनके खातेदारी अधिकार सृजित किये-तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के इस आधार पर तीन व्यक्तियों का आवंटन रद्द किया कि भूमि पर काश्त नहीं की जा रही थी- आवंटन रद्द करने का आदेश अपास्त किया- याचिका- अभिनिर्धारित- यह उपधारणा कि आवंटी को 03 वर्ष बाद खातेदार अधिकार प्रदत्त किये गये- खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता- आवंटन रद्द करने का कोई आधार नहीं एवं इने पुनः स्थापित किये जाने की आवश्यकता है-आदेश यथावत रखा। याचिका खारिज की।" उक्त दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में भी हुबहू चस्पा होता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी के पिता तेजा पुत्र भरता को वादग्रस्त आराजी ग्राम- टूंकड़ा की खसरा संख्या 453/206 रकबा 10-00 बीघा दिनांक 06/05/1976 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार आवंटित की गई, जिसकी पालना में आवंटी के पक्ष में नामांतकरण संख्या 139 स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी में अमल दरामद कर दिया गया। जमाबंदी संवत 2028-2031 एवं 2032-2035 में तेजा पुत्र भरता खसरा संख्या 453/206 रकबा 10-00 बीघा का बतौर खातेदार दर्ज रहा, आगामी जमाबंदी से उक्त खसरा संख्या का विलोपन कर दिया गया जो वर्तमान में भी बदस्तर है, जो कि विधिसंगत नहीं हैं नवीन जमाबंदी निर्माण के दौरान कानूनन पुरानी जमाबंदी के सभी खसराओं को आगामी जमाबंदी में दर्ज किया जाना कानूनन बाध्यता है, जिसका पालन नहीं किया गया साथ ही बिना किसी सक्षम आदेश एवं प्राधिकार के किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2036-2039 में नवीन खसरा संख्या 453/216 रकबा 10-00 बीघा का अंकन करते हुए खातेदार के रूप में तेजा पुत्र भरता का अंकन कर दिया गया जो कि बिना किसी आधार एवं सक्षम आदेश के किया गया जो विधि-विरूद्ध है। इसके तत्पश्चात इसी जमाबंदी में उक्त खसरा संख्या की प्रविष्टि के आगे नॉट अंकन करते हुए अंकित किया गया कि नामांतरण संख्या 206 के जरिये इस्तीफा मंजूर होने से सरकारी पड़त इन्द्राज किया गया। ग्राम टूंकड़ा की नामांतरण पंजिका के नामांतरण संख्या 206(प्रदर्श-4) के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसकी प्रविष्टियां निम्नानुसार है- "टी.एस. साहब के आदेश का अंकन करते हुए खसरा संख्या 453/412 रकबा 10 बीघा के खातेदार तेजा वल्द भरता का इस्तीफा मंजूर होने से नामांतरण दर्ज किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम-टूंकड़ा की जमाबंदी संवत् 2036-2039 में न तो खसरा संख्या 453/412 का कही अंकन है तथा न ही खसरा संख्या 453/412 का तेजा वल्द भरता खातेदार दर्ज है। इस प्रकार नामांतरण संख्या 206 की प्रविष्टि भी विधिसंगत नहीं है क्योंकि प्रथम तो खसरा संख्या 453/412 का वस्तुतः कोई अस्तित्व भी नहीं था, वहीं उक्त नामांतरण संख्या 206 जो खसरा संख्या 453/412 के लिए स्वीकृत किया गया का विशेष नोट ग्राम-टूकड़ा की जमाबंदी के खसरा संख्या 453/216 के समक्ष अंकित किया गया जो भी पूर्णतया विधिविरुद्ध है क्योंकि 453/216 के नाम से कभी नामांतरण स्वीकृत नहीं किया। वहीं तेजा पुत्र भरता कभी भी खसरा संख्या 453/216 एवं 453/412

Scanned by CamScanner

का खातेदार नहीं रहा, नहीं उसके उक्त खसरा संख्या की आराजी के खातेदारी अधिकार कभी अर्जित या हस्तांतरित हुए थे, अतः ऐसे में तेजा पुत्र भरता द्वारा खसरा संख्या 453/216 या 453/412 से स्तीफा देनें और ऐसा स्तीफा स्वीकार करनें का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। खातेदारी अधिकार या तो खातेदार द्वारा राजहक में बिना शर्त समर्पित किए जा सकते हैं या सक्षम न्यायालय-सहायक कलक्टर द्वारा निर्वापित किए जा सकते हैं या हस्तांतरित हो सकते है, परंतु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में न तो काश्तकार के स्तीफा देनें का प्रावधान है और न ही किसी "टी.एस साहब" को ऐसा स्तीफा स्वीकार करनें का कोई अधिकार होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि खसरा संख्या 453/216 और 453/412 की प्रविष्टियां पूर्णतया गलत एवं आधारहीन है, जो कि विलोपित किए जानें योग्य है। प्रतिवादी एवं तहसीलदार, जैतारण ने भी वाद-पत्र स्वीकार करते हुए उक्त दोनों गलत प्रविष्टियों को शुद्ध करते हुए शुद्ध प्रविष्टि खसरा संख्या 453/206 रकबा 10-00 बीघा अंकित किए जानें की मांग की है। यह भी उल्लेखनीय है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त किसी भी काश्तकार के खातेदारी अधिकारों को समाप्त/विलोपित नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल हस्तांतरित किया जा सकता है।

वादी एवं वादी के साक्ष्य सायर पुत्र अणदा मेरात द्वारा शपथ-पत्र पर दिए साक्ष्य एवं जिरह से यह स्पष्ट है कि तेजा पुत्र भरता फौत हो चुका है परंतु वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके अलावा मृतक तेजा के विधिक वारिसान कौन-कौन है? अतः हम ग्राम-टूंकड़ा की जमाबंदी में वर्तमान गलत अंकित प्रविष्टियों खसरा संख्या 453/412 का विलोपन करते हुए इसके स्थान पर संवत् 2032-2035 की जमाबंदी तक सही चली आ रही प्रविष्टि खसरा संख्या 453/206 का जरिए शुद्धि अंकन किया जाना और जमाबंदी संवत 2032-2035 तक उक्त खसरा संख्या 453/206, रकबा 10-00 बीघा, किस्म बारानी अव्वल के बतौर खातेदार दर्ज एवं वादी के पिता तेजाराम पुत्र भरता, कौम-गुर्जर को उक्त खसरा संख्या का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए एवं इनका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के तत्पश्चात तहसीलदार, जैतारण द्वारा उक्त तेजा पुत्र भरता जो फौत हो चुका है के वास्तविक विधिक वारिसानों की जांच करते हुए नियमानुसार फौतगी नामांतरण की कार्यवाही किये जाने का निर्देश देते हुए वाद वादी स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की जमाबंदी में अंकित प्रविष्टि खसरा संख्या 453/412 रकबा 10-00 बीघा, बारानी अव्वल में से गलत प्रविष्टि खसरा संख्या 453/412 को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर सही खसरा संख्या 453/206 अंकित किए जानें के निर्देश दिए जाकर वादी के पिता तेजाराम पुत्र भरता, जाति-गुर्जर, निवासी-टूंकड़ा को

Scanned by CamScanner

ग्राम टूंकड़ा की जमाबंदी में सही अंकित प्रविष्टि खसरा संख्या 453/206 रकबा 10-00 बीघा, बारानी अव्वल का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि सर्वप्रथम उपर्युक्तानुसार सही खसरा संख्या का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करते हुए तदनुरूप वादी का नाम अमल-दरामद करें, तत्पश्चात चुंकि तेजाराम पुत्र भरता फौत हो चुका है अतः उसके वास्तविक विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर उनके पक्ष में नियमानुसार नामांतरण स्वीकृत कर जमाबंदी में अमल-दरामद करें। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण

निर्णय आज दिनॉक 13/01/2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
2. भेराराम पुत्र तेजाराम जाति–गुर्जर, निवासी–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 4. पटवारी, पटवार हल्का टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

मु0न0 (34/18) 273/2019

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली की जमाबंदी में अंकित प्रविष्टि खसरा संख्या 453/412 रकबा 10–00 बीघा, बारानी अव्वल में से गलत प्रविष्टि खसरा संख्या 453/412 को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर सही खसरा संख्या 453/206 अंकित किए जानें के निर्देश दिए जाकर वादी के पिता तेजाराम पुत्र भरता, जाति–गुर्जर, निवासी–टूंकड़ा को ग्राम टूंकड़ा की जमाबंदी में सही अंकित प्रविष्टि खसरा संख्या 453/206 रकबा 10–00 बीघा, बारानी अव्वल का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि सर्वप्रथम उपर्युक्तानुसार सही खसरा संख्या का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करते हुए तदनुरूप वादी का नाम अमल–दरामद करें, तत्पश्चात चुंकि तेजाराम पुत्र भरता फौत हो चुका है अतः उसके वास्तविक विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर उनके पक्ष में नियमानुसार नामांतरण स्वीकृत कर जमाबंदी में अमल–दरामद करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/01/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.04 17:49:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: